संख्या 21/145/2014-एम एण्ड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

एन डी सी सी-II भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक : 21 जुलाई, 2014

सेवा में

श्री विजय शर्मा, सूचना आयुक्त,
केन्द्रीय सूचना आयोग,
क्लब बिल्डिंग, नया डाकघर,
पुराना जे एन यू कैम्पस,
नई दिल्ली-110067

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के बारे में।

केन्द्रीय सूचना आयोग कृपया उपर्युक्त विषय पर श्री आनन्द कुमार वर्मा से प्राप्त दिनांक 25/02/2013 के आर टी आई आवेदन के संबंध में गृह मंत्रालय के विरुद्ध मामला सं. सी आईसी/एस एस/सी/2013/000466/वी एस से संबंधित अपने दिनांक 25/06/2014 के सुनवाई नोटिस का अवलोकन करें।

2. रिकॉर्ड तथा श्री आनन्द कुमार वर्मा की संबंधित आर टी आई फाइलों के अवलोकन से यह पाया गया है कि श्री आनन्द कुमार वर्मा का उपर्युक्त आर टी आई आवेदन इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उपर्युक्त मामले से संबंधित 'दिनांक रहित' आर टी आई आवेदन की प्रति केन्द्रीय सूचना आयोग से फैक्स द्वारा दिनांक 11.07.2014 को प्राप्त हुआ है।

3. इस संबंध में पैरा-वार उत्तर निम्नवत है:-

पैरा-1	अपेक्षित सूचना राज्य सभा सचिवालय की वेबसाइट और गृह मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.mha.nic.in पर उपलब्ध है। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में 12 सदस्यों के नामंकन की प्रक्रिया से संबंधित सूचना भी आवेदक को इस मंत्रालय के दिनांक 30.10.2012 के पत्र सं. 21/121/2012 के तहत प्रदान कर दी गई है। दिनांक 28.01.2013 की स्थिति के अनुसार राज्य सभा के नामित सदस्यों की सूची संलग्न है।
पैरा-2	इस मंत्रालय को आवेदक से विभिन्न आर टी आई अनुरोध/अपील प्राप्त हुई हैं जिसमें उनके दिनांक 26.07.2012, 18.10.2012, 01.11.2012 एवं 05.09.2013 के विभिन्न आर टी आई अनुरोधों/अपीलों के तहत राज्य सभा में सदस्य के रूप में अपने नामांकन के संबंध में ऐसी ही सूचना मांगी गई है और उसमें यह भी कहा गया है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में नामांकन के लिए उनके नाम की सिफारिश किए जाने और उपयुक्त कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बावजूद गृह मंत्रालय उनको राज्य सभा के सदस्य के रूप में नियुक्त करने/शपथ दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

	आवेदक को इस मंत्रालय के दिनांक 30.10.2012, 08.01.2013, 29.04.2013, 27.11.2013 के पत्र के तहत नियमित रूप से सूचित किया गया है कि उनके नाम को शार्ट-लिस्ट नहीं किया गया है। आवेदक को यह भी सूचित किया गया है कि इस कार्यालय में सीधे प्राप्त, राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के सचिवालय के माध्यम से अग्रेषित या मंत्रालयों/विभागों/संगठन द्वारा सिफारिश किए गए एवं उपयुक्त कार्रवाई के लिए प्राप्त अन्य अभ्यावेदनों/याचिकाओं सहित आपके अभ्यावेदन/याचिका को राज्य सभा में नामांकन के लिए विचार किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, उनके नाम को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। यह भी सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति द्वारा याचिका/अभ्यावेदन को उपयुक्त कार्रवाई के लिए इस मंत्रालय को केवल अग्रेषित करना राज्य सभा में नामांकन के लिए सिफारिश/आदेश नहीं है जैसा कि आवेदक ने दावा किया है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

(आशुतोष जैन)
निदेशक (सी एस-II) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष : 23438147

प्रति प्रेषित :-

1. श्री आनन्द कुमार वर्मा, 8/22, किंग रोड, ग्वाल टोली, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।
2. अनुभाग अधिकारी (IT) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली.

5827/RTI/2013
19.09.13

(9)

अति- आवश्यक /अतिशीघ्र) (पंजीकृत डॉकसे)

(जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचनाप्राप्त करना।)

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs नई दिल्ली / New Delhi
10 SEP 2013
के.र.सं. C.R. No. 1162

सेवा में, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी श्री युत गृहसचिव गृहमन्त्रालय भारतसरकार नार्थ ब्लाक नई- दिल्ली।

विषय:-) (1) उपराष्ट्रपति सचिवालय के अवरसचिव के फाइल संख्या वी.पी.एस. 22/02/2013 (P) दिनाँक- 22 फरवरी 2013 के आदेशानुसार भेजे गये पत्र के सम्बन्ध ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है। श्रीयुत गृहसचिव गृहमन्त्रालय भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई-दिल्ली। प्रिय महोदय कृपया आप जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार विषय (1) बिन्दु की समुचित कार्यवाही की सूचना देनेकी कृपा करें।

विषय (2):-) दिनाँक 4/7/2013 को पंजीकृत डाक से भेजे गये प्रार्थना पत्र श्री युत केन्द्रीय गृहसचिव गृहमन्त्रालय भारत सरकार नई-दिल्ली को भेजे गये अन्वेषण पत्र राष्ट्रपति सचिवालय के आदेश संख्या, आई० डी० नम्बर- 9(7)- सी.ए.(1)/2012 अन्तरविभागीय आदेश नामाँकन अनुच्छेद 80(1) के तहत नामांकन होने के बावजूद शपथ क्यों नहीं करायी गयी है। मौलिक अधिकारों का हनन क्यों किया गया है। इसमें क्या कोई राजनैतिक साजिश तो नहीं की गयी है। महोदय, कृपया उपरोक्त विषय के 1 व 2 बिन्दुओं पर सही स्पष्ट सूचना समयबद्ध सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अतिशीघ्र प्रेषित करें। अति महान दया होगी।

आनन्द कुमार वर्मा

पोस्टल आर्डर संख्या:- 17F 044249

भवदीय
आनन्द कुमार वर्मा S/o श्री गयाप्रसाद वर्मा, 8/22 किंमरोड- ग्वालटोली, जिला = हमीरपुर (उ०प्र०)
(पिनकोड- 210301)

संलग्नक:- (1) फोटोप्रति का पाँच पेज का अवलोकन करें।
(2) लेखा अधिकारी के नाम गृहमन्त्रालय 10 रुपये का I.P.O. भारत सरकार संलग्न है। दिनाँक:- 5/9/2013